



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274498
CG-DL-E-14072026-274498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3710]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 3710]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2026

का.आ. 3872(अ).— ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 05.03.2024 की अधिसूचना S.O. 1058(E) के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष को 'पंजाब नेशनल बैंक बनाम मेस्सेर्स सुन्दर नगर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (अपील सं. 2021 का 50 और इससे संबंधित कार्यवाहियां)' और 'पंजाब नेशनल बैंक बनाम मेस्सेर्स ऋषि बॉयज होस्टल और अन्य (अपील सं. 2021 का 51 और इससे संबंधित कार्यवाहियां)' की अपील के मामले में निर्णय देने के लिए अधिकृत करती है।

[फा. सं. 09/22/2023-डीआरटी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
ORDER

New Delhi, the 14th July, 2026

S.O. 3872(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993) and in continuation of the notification S.O. 1058(E) dated 05.03.2024, the Central Government hereby authorises the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi for deciding the appeals in the matter of Punjab National Bank vs M/s Sundar Nagar Integrated Rural Development Association (SIRDA), (Appeal No. 50 of 2021 arising out of O.A. No. 30/2020 (DRT-I, Chandigarh) and its connected proceedings) and Punjab National Bank vs M/s Rishi Boys Hostel & Ors. (Appeal No. 51 of 2021 arising out of O.A. No. 26 of 2020 (DRT-I, Chandigarh) and its connected proceedings).

[F. No. 09/22/2023-DRT]
SHALINI PANDIT, Jt. Secy.